



# उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

दूरभाष : 0522-2618850

फैक्स : 0522-2616638

पत्रांक 2310 / एच0एम0बी0 / 4-6 / 2016

दिनांक 06-9-17

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड,

उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

संजीवनी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,

कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर

विषय:- सत्र 2017-18 में डिप्लोमा इन होमियोपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संजीवनी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक, श्री धीरज त्यागी के पत्र दिनांक 28.07.2016 के माध्यम से डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में दिनांक 20.12.2016 को गठित 03 सदस्यीय निरीक्षण मण्डल द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर दिनांक 11.01.2017 को संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के आख्या के आधार पर बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.07.2017 के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है कि विषयगत संस्थान द्वारा शासनादेश दिनांक 19.08.2010 में निर्धारित उपकरणों तथा अवस्थापना सम्बन्धी मानकों को पूर्ण किया गया है। संस्थान के प्रबन्धक द्वारा योजित शपथ-पत्र दिनांक 29.07.2017 में यह बयान दिया गया है कि "उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या: 1372/71-आयुष-2-2015-92/96 टी0सी0 दिनांक 21.12.2015 में दिये नियम एवं शर्तों एवं निर्धारित समय-सारणी का पूर्ण पालन करेगी।" प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने/समय वृद्धि का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जा रहा है। यदि समय वृद्धि कर दी जाती है तो यह अनुमति पत्र सत्र 2017-18 के लिए मान्य होगा अन्यथा सत्र 2018-19 के लिए मान्य होगा।

2- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उ0प्र0 होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या-2333/96-आयुष-2-2017-134/2017 दिनांक 11.08.2017 के सन्दर्भ में संजीवनी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर को सत्र 2017-18/2018-19 में डी0एच0पी0 पाठ्यक्रम (100 सीटों की क्षमता) संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 शासन, आयुष अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या: 1372/71-आयुष-2-2015-92/96 टी0सी0 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 में दिये गये आदेशों, निर्देशों, शर्तों एवं निर्धारित समय-सारणी आदि का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा। सिर्फ सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश प्रक्रिया

- पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने/समय वृद्धि का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जा रहा है। यदि समय वृद्धि कर दी जाती है तो यह अनुमति पत्र सत्र 2017-18 के लिए मान्य होगा अन्यथा सत्र 2018-19 के लिए मान्य होगा।
2. संस्था द्वारा शासन एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  3. सत्र 2018-19 हेतु मानक पूर्ति के सम्बन्ध में संस्था के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए पृथक से यथा आवश्यकता निरीक्षण करा कर मान्यता प्रदान की जायेगी।
  4. संस्था द्वारा डी०एच०पी० पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रवेश किसी भी मा० न्यायालय के आदेशों के अनुरूप निर्धारित व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
  5. प्रशिक्षण अवधि में कोई भी भत्ता देय न होगा तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में लिया जाना बाध्यकारी न होगा।
  6. डी.एच.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क केवल पठन पाठन के मद का है।
  7. प्रशिक्षण में आरक्षण सुसंगत शासनादेशानुसार देय होगा।
  8. संलग्न प्रेषित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही संस्था स्वयं करेगी।
  9. बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन-पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी। संस्था में निर्धारित मानक की शत-प्रतिशत पूर्ति होनी चाहिए, त्रुटि पाये जाने पर संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी दशा में संस्था के छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त निकटवर्ती संस्था में समायोजित कर दिया जायेगा।
  10. बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा।
  11. यह मान्यता आप द्वारा निरीक्षण मण्डल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रो० वी०के० विमल)  
कार्यवाहक रजिस्ट्रार।

पत्रांक: 2311 / एच०एम०बी० / 4-76/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, सचिव, उ०प्र० शासन आयुष अनुभाग-2 को शासन के पत्र संख्या: 2333/96-आयुष-2-2017-134/2017 दिनांक 11.08.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रो० वी०के० विमल)  
कार्यवाहक रजिस्ट्रार।